UPMO010052562021

न्यायालय खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण/जिला न्यायाधीश, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी– सै0 माऊज़ बिन आसिम, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.Code No. UP-1895

नियमित सिविल अपील संख्या–136/2021

सुबोध गुप्ता पुत्र श्री पुरूषोत्तम शरण गुप्ता, निवासी मकान संख्या–2/866, बुद्धि विहार कॉलोनी, थाना मझौला, पोस्ट व जनपद मुरादाबाद।

................अपीलार्थी।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा डी0जी0सी0 (सिविल), मुरादाबाद।
2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मुरादाबाद।

............प्रत्यर्थीगण।

निर्णय

1. अपीलार्थी/खाद्य कारोबारकर्ता ने प्रश्नगत नियमित सिविल अपील खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (जिसे आगे की धाराओं में अधिनियम के नाम से सम्बोधित किया गया है) की धारा–70 के अन्तर्गत न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (नगर), मुरादाबारद द्वारा वाद संख्या–2812/2017, सरकार बनाम सुबोध में पारित प्रश्नगत निर्णय और आदेश दिनांकित 26.03.2019 के विरूद्ध योजित की है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि– खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जनपद मुरादाबाद ने न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (नगर), मुरादाबाद के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था कि, उसने दिनांक 18.01.2016 को समय 12:30 बजे अपराह्न, स्थान मकान संख्या–02/866 बुद्धि विहार, जिला मुरादाबाद पर खाद्य कारोबारकर्ता सुबोध गुप्ता पुत्र श्री पुरूषोत्तम सरन गुप्ता की दुकान मैसर्स शान्ति भोग फूड प्रो०, मुरादाबाद का अपने पद का

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2026.03.25 17:28:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

परिचय देकर निरीक्षण किया। दुकान में खाद्य पदार्थ सोयाबीन बरी, दालें तथा 26 प्लास्टिक बैग, प्रत्येक में मात्रा लगभग 05 किलोग्राम गेंहू का आटा (शान्ति भोग ब्राण्ड) वास्ते मानव उपभोग व बिक्री हेतु रखे पाये गये। मौके पर जनता के व्यक्तियों को गवाही हेतु बुलाया गया, परन्तु कोई भी व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं हुआ। दुकान में रखे गेहूँ के आटे (शान्ति भोग ब्राण्ड) की शुद्धता में संदेह होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 02 किलोग्राम कीमत 48/—रूपये देकर क्रय किया गया। नोटिस प्रपत्र 5ए की दो प्रतियां तैयार कर एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को दी गयी तथा दूसरी प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर कराये गये। उक्त नमूने को चार साफ, सूखे कन्टेनरों में भरकर चारों नमूना भागों पर लेबिल लगाकर बांसी कागज लपेटकर उस पर प्रदत्त कोड स्लिप संख्या—एम०बी०डी—16/2016 नियमानुसार सील मोहर बन्द किया गया। मैमोरेन्डम प्रपत्र—सात प्रतियों में तैयार करके नमूने की एक प्रति को खाद्य विश्लेषक, गोरखपुर को दिनांक 19.01.2016 को कोरियर पार्सल द्वारा भेजा गया। नमूने के शेष भागों को मय प्रपत्र सहित औषधि प्रशासन कार्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 19.01.2016 को जमा किया गया। खाद्य विश्लेषक, गोरखपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट संख्या—जीकेपी—3139, दिनांकित 18.03.2016 के अनुसार उपरोक्त नमूने को मिथ्या छाप पाया गया तथा विश्लेषक द्वारा नमूने के संबंध में इस आशय की राय दी गयी है कि, "On the lable of the sample manufacturer has not declared batch no date of packing best before in capital letter & green veg. symbol which is violation of regulation no 2.2.2 (8,9,10 & 4) of FSS (P&L) Reg. 2011. Hence the sample is misbranded." इस प्रकार खाद्य कारोबारकर्ता ने मिथ्या छाप खाद्य पदार्थ गेंहू का आटा (शान्ति भोग ब्राण्ड) का कारोबार करके खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा—3(1)(zf) सपठित धारा—26(2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो इसी अधिनियम की धारा—52 के अन्तर्गत अर्थदण्ड से दण्डनीय है। उक्त आधारों पर खाद्य कारोबारकर्ता को दण्डित करने की याचना की गयी।

3. न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), मुरादाबाद द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए खाद्य कारोबारकर्ता को इस

आशय का कारण बताओ नोटिस दिनांकित 25.10.2017 जारी किया गया कि, आपके प्रतिष्ठान से प्राप्त नमूना मिथ्या छाप पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा–3(1)(zf) व 26(2)(ii) का उल्लंघन है तथा उक्त अधिनियम की धारा–52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डनीय है। आप दिनांक 02.11.2017 को स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर नोटिस में उल्लिखित आरोपों के सम्बन्ध में कारण बताते हुए अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तत करें।

4. प्रश्नगत निर्णय के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि, अपीलार्थी बावजूद पर्याप्त तामील विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ और न ही उसने उपरोक्त नोटिस के विरूद्ध कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत की।

5. न्याय निर्णायक अधिकारी ने अभियोजन पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन करने के उपरान्त प्रश्नगत आदेश दिनांकित 26.03.2019 के माध्यम से अपीलार्थी सुबोध गुप्ता पर उक्त अधिनियम की धारा–52 के अन्तर्गत अंकन 2,70,000/–रूपये की शास्ति अधिरोपित की है और शास्ति अदा न करने पर, शास्ति की धनराशि की वसूलयाबी की कार्यवाही भू–राजस्व की भांति अमल में लाये जाने हेतु निर्देशित किया है, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत की है।

6. <u>संक्षेप में अपील के आधार इस प्रकार हैं कि</u>– कथित सैम्पल का विश्लेषण प्रयोगशाला, गोरखपुर में दिनांक 04.03.2016 से 18.03.2016 तक किया गया, जिसमें विश्लेषण उपरान्त कोई बाह्य तत्व अथवा जीवन के लिए हानिकारक तत्व का होना नहीं पाया गया, खाद्य विश्लेषक, गोरखपुर की रिपोर्ट संख्या जी०के०पी० 3139, दिनांकित 18.03.2016 पर पुनः जॉच कराने के सम्बन्ध में अपीलार्थी को नोटिस अन्तर्गत धारा–46(4) नहीं भेजा गया है, जबकि कानूनी रूप से नोटिस भेजा जाना चाहिए था, नोटिस न भेजे जाने से अपीलार्थी अपने अधिकार से वंचित रहा है, दिनांक 31.07.2017 को परिवाद स्वीकृति पत्र पर अभिहित अधिकारी की स्वीकृति दिनांक 25.10.2017 के आधार पर उत्तरदाता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किस दिनांक को न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी, मुरादाबाद के न्यायालय में परिवाद योजित किया गया,

स्पष्ट नहीं है, दिनांक 25.10.2017 को न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का सैम्पल धारा–3(1)(zf), 26(ii) एवं 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का उल्लंघन मानते हुए नोटिस निर्गत किया जाना बताया जाता है, जबकि अपीलार्थी को विचारण न्यायालय में कृत किसी भी कार्यवाही का कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, न ही कोई जानकारी हो पायी, विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी को भेजे गये किसी नोटिस की जानकारी न होने के कारण अपीलार्थी विचारण न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका और विचारण न्यायालय द्वारा पूर्ण कार्यवाही प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से निर्णीत कर दी गयी है, जिससे अपीलार्थी को असीम हानि है, जिसकी क्षतिपूर्ति सम्भव नहीं है, अपीलार्थी को सैम्पल की पुनः जाँच का नियमानुसार कोई अवसर नहीं दिया गया है, जिसके कारण विश्लेषक की रिपोर्ट दिनांकित 16.03.2016 में सैम्पल अधोमानक होने का स्पष्ट रूप से कारण दर्शित नहीं माना जा सकता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैम्पल को अलग अलग 4 डिब्बों में सील करने के प्रक्रम में कोई स्वतन्त्र साक्षी न होना (जबकि अपीलार्थी का घर घनी आबादी में है) विचारण न्यायालय के समक्ष द्वितीय नमूना एवं सील मोहर आदि प्रस्तुत न कर पाना, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तथा नियमावली का पालन नहीं किया जाना, विशेष रूप से धारा–49 का पालन नहीं किया जाना, किसी उपभोक्ता द्वारा शिकायत तथा अपीलार्थी के कृत्य से हुए लाभ का विश्लेषण न किया जाना, विचारण न्यायालय के निर्णय/आदेश में कानूनी त्रुटि है, उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत आदेश/निर्णय दिनांकित 26.03.2019 संदेहास्पद और निरस्त होने योग्य है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पांच–पांच किलो के पैकिंग में आटे का होना बताया गया है, जबकि सैम्पल के लिए दो किलो आटा लेना बताया गया है, ऐसे में आटे पर किसी प्रकार की ब्रान्डिंग होना सम्भव नहीं है, जबकि विश्लेषक ने अपनी आख्या में मिसब्रान्डिंग की पुष्टि की है, ऐसी स्थिति में रिपोर्ट संदिग्ध एवं भ्रामक है, अपीलार्थी को विचारण न्यायालय द्वारा मनमाने व अवैधानिक रूप से धारा–52 का दोषी मानते हुए अपीलार्थी पर मुबलिग 2,70,000/–रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है, जो प्रत्येक दृष्टि में अनुचित है और खण्डित होने योग्य है। उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांकित 26.03.2019 को निरस्त किये

जाने की याचना की गयी।

7. दौरान बहस अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा धारा–49 का अनुपालन नहीं किया गया है, कोविड महामारी के कारण अपीलार्थी का कारोबार में अत्यधिक घाटा हो गया है तथा अपीलार्थी की आर्थिक स्थिति भी अत्यधिक दयनीय है, अपीलार्थी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उक्त अपील को चलाने में सक्षम नहीं रहा है, अपीलार्थी की आर्थिक स्थिति एवं अपील की लम्बित अवधि को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर विचार किये बिना दया के आधार पर अपील को निस्तारित करने की कृपा करें, जिस बाबत अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र–16ग भी प्रस्तुत किया है।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खण्डन करते हुए विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) ने दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया कि, यह बात सही है कि, विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश में अधिनियम की धारा–49 के प्रावधानों को विचारण में लेते हुए निर्णय पारित नहीं किया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दया प्रार्थनापत्र कागज संख्या–16ग इस तथ्य की ओर इशारा इंगित करता है कि, वह अपने अपराध को स्वयं स्वीकार कर रहा है। उक्त आधारों पर अपील को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) को विस्तार से सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि, विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख तलब होकर प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अपीलार्थी प्रश्नगत अपील को गुण–दोष के आधार पर निर्णीत नहीं कराना चाहता, बल्कि वह अधिनियम की धारा–49 में प्रावधानित परिस्थितियों के मद्देनजर ही अपील पर बल देते हुए शास्ति को कम कराना चाहता है, जिस सम्बन्ध में उसकी ओर से प्रार्थना पत्र–16ग भी प्रस्तुत किया गया है, इस स्तर पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि, प्रश्नगत निर्णय पारित करते समय धारा–49 में वर्णित परिस्थितियों पर विचार किया गया है, अथवा नहीं, इस बिन्दु के निर्धारण हेतु विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया जाना ही पर्याप्त है, विशेषकर उस स्थिति में, जब अपीलार्थी की ओर से कारण बताओ नोटिस,

रिपोर्ट एफ0एस0एल0 आदि प्रपत्रों की प्रमाणित प्रतियां पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी हैं। इसके अतिरिक्त विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा भी धारा–49 के अन्तर्गत सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब किये बिना ही, अपील को निर्णीत किये जाने में अनापत्ति की टिप्पणी प्रार्थना पत्र–16ग पर अभिलिखित की गयी है। तद्नुसार प्रश्नगत आदेश पारित करने हेतु विचारण न्यायालय की मूल पत्रावली के तलब होकर प्राप्त न होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव अपील को अधिनियम की धारा–49 के परिप्रेक्ष्य में निर्णीत किये जाने पर नहीं है।

10. अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत मामले में विनिश्चायक बिन्दु यह उभरकर आता है कि, क्या विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–52 के अन्तर्गत अधिरोपित शास्ति विधि–सम्मत है अथवा नहीं?

11. प्रश्नगत आदेश में अधिरोपित शास्ति के सम्बन्ध में गुण–दोष पर विवेचना किये जाने से पूर्व मामले से सम्बन्धित सुसंगत धाराओं का उल्लेख किया जाना उचित एवं न्याय संगत प्रतीत होता है।

12. खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के नियम–2.2.2(8) के अनुसार– <u>लॉट/कोड/बैच पहचान</u>– ''कोई बैच संख्यांक या कोड संख्यांक या लॉट संख्याक, जो कि ऐसा पहचान चिन्ह है, जिसके द्वारा खाद्य के विनिर्माण का पता किया जा सकता है और वितरण में उसकी पहचान की जा सकती है, लेबल पर दिया जाएगा, परन्तु ऐसे पैकेजों की दशा में, जिनमें डबल रोटी और दूध, जिसमें निर्जमित दूश भी सम्मिलित है, अन्तर्विष्ट है, इस खण्ड के अधीन विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।''

13. खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के नियम–2.2.2(9) के अनुसार– <u>निर्माण या पैक करने की तारीख</u>– ''वह तारीख लेबल पर वह तारीख, महीना और वर्ष दिया जाएगा, जिसमें वस्तु का निर्माण, पैकिंग या पूर्व–पैकिंग की गयी है, बशर्ते कि यदि उत्पादों की ''सर्वोत्तम पूर्व तिथि'' तीन महीने से अधिक है तो विनिर्माण, पैकिंग या पूर्व–पैकिंग का महीना और वर्ष दिया जायेगाः परन्तु यह भी कि, यदि किसी पैकेज में ऐसी वस्तु है, जिसकी शेल्फ लाईफ तीन महीने से कम है, तो लेबल पर वह तारीख, महीना और वर्ष अंकित किया जायेगा, जिसमें

वस्तु का निर्माण या तैयारी या पूर्व–पैकिंग की गयी है।''

14. खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के नियम–2.2.2(10) के अनुसार– <u>से पूर्व उत्तम और तारीख तक उपयोग</u>–

''(i) निम्नलिखित रीति में मोटे अक्षरों में मास और वर्ष, जिस तक उत्पाद उपभोग के लिए उत्तम है, अर्थात्–

''मास और वर्ष..............से पहले उत्तम''

या

पैक करने से.................मास से पहले उत्तम''

या

''विनिर्माण से...............मास से पहले उत्तम''

15. खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के नियम–2.2.2(4) के अनुसार–<u>शाकाहारी/मांसाहारी संबन्धी घोषणा</u>–(i) यह उपदर्शित करने के लिए कि, यह उत्पाद मांसाहारी खाद्य है, प्रत्येक ''मांसाहारी'' खाद्य के पैकेज पर इसमें नीचे अनुबन्धित अनुसार एक प्रतीक और रंग कोड द्वारा इस आशय की एक घोषणा की जायेगी। इस प्रतीक में भूरे रंग से भरा हुआ एक वृत्त होगा, जिसका व्यास विनियम–2.2.2(4)(iv) में उल्लिखित तालिका में विनिर्दिष्ट न्यूनतम आकार से कम नहीं होगा, जो वृत्त के व्यास के दोगुने किनारे वाली भूरी बाह्य रेखा वाले वर्ग के भीतर होना चाहिए।

(ii) जहां किसी खाद्य पदार्थ में केवल अण्डा केवल एक मांसाहारी संघटक के रूप में अन्तर्विष्ट होगा तो वहा विनिर्माता, या पैक कर्ता अथवा विक्रेता उक्त प्रतीक के अलावा इस आशय की एक घोषण करेगा।

(iii) यह उपदर्शित करने के लिए कि, यह उत्पाद शाकाहारी खाद्य है, प्रत्येक ''शाकाहारी'' खाद्य के पैकेज पर इसमें नीचे अनुबन्धित अनुसार एक प्रतीत और रंग कोड द्वारा इस आशय की एक घोषणा की जायेगी, इस प्रतीक में हरे रंग से भरा हुआ एक वृत्त होगा, जिसका व्यास उल्लिखित तालिका में विनिर्दिष्ट न्यूनतम आकार से कम नहीं होगा, जो वृत्त के व्यास के दोगुने किनारे वाली भूरी बाह्य रेखा वाले वर्ग के भीतर होना चाहिए।

(iv) लोगो का आकार......

(i) मूल प्रदर्शन पैनल पर विषम पृष्टभूमि वाले पैकेज,

(ii) उत्पाद के नाम अथवा ब्राण्ड के बिल्कुल नजदीक,

(iii) लेबलों, आधानों, पम्पलेटों, इश्तहारों, किसी भी प्रचार माध्यम के विज्ञापनों पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, परन्तु यह भी कि, विनियम–2.2.2(4) के उपबंध खनिज जल या पैकेज बन्द पेय जल या कार्बनिकृत जल या मादक पेया या तरल और चूर्णित दूध के बारे में लागू नहीं होंगे।''

16. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–3(1)(zf) के अनुसार–<u>मिथ्या छाप वाला खाद्य</u>– से कोई खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है–

(अ) यदि वह–

(i)(क) पैकेज के लेबल के ऊपर, या

(ख) विज्ञापन के द्वारा,

मिथ्या, भ्रामक या प्रबन्ध दावे के साथ विक्रय के लिए प्रस्थापित किए जाने या संवर्धित किए जाने, या

(ii) ऐसे नाम से, जो किसी अन्य खाद्य पदार्थ का है, विक्रय किए जाने, या

(iii) पदार्थ के विनिर्माता या उत्पादक के रूप में किसी कल्पित व्यष्टि या कम्पनी के नाम से जो पदार्थ वाले पैकेज पर लिखा है या पैकेज पर लेबल लगा है, विक्रय के लिए प्रस्थापित या संवर्धित करने के लिए तात्पर्यित है या प्रस्तुत किया जाता है या प्रस्थापित या संवर्धित किया जा रहा है।

(आ) यदि पदार्थ ऐसे पैकेजों में विक्रय किया जाता है जो विनिर्माता या उत्पादक के द्वारा या उसके कहने पर मोहरबन्द या तैयार किए गए हैं और जिन पर उसका नाम और पता है किन्तु –

(i) वह किसी अन्य खाद्य पदार्थ की, जिसके नाम से उसका विक्रय किया जाता है, नकल है, या उसके स्थान पर प्रतिस्थापित है या उससे इस प्रकार मिलता–जुलता है कि धोखा हो जाए और उस पर उसका असली रूप उपदर्शित करने के लिए स्पष्ट और सहजदृश्य रूप से लेबल नहीं लगाया गया है; या

(ii) पदार्थ वाले पैकेज या पैकेज पर लेबल में उसमें अन्तर्विष्ट

संघटकों या तत्वों के बारे में कोई ऐसा कथन, डिजाइन या अभिलक्षण है जो किसी सारवान् विशिष्टि में मिथ्या या भुलावा देने वाली है, या यदि पैकेज अपनों अन्तर्वस्तुओं के बारे में अन्यथा धोखा देने वाला है;

(iii) किसी स्थान या देश के उत्पाद के रूप में जिस पदार्थ की विक्रय के लिए प्रस्थापना की गई है, वह मिथ्या है; या

(इ) यदि पैकेज में अन्तर्विष्ट पदार्थ–

(i) कोई कृत्रिम सुरुचिकारक, कृत्रिम रंजक या रासायनिक परिरक्षी से युक्त है और पैकेज उस तथ्य का कथन करने वाला घोषणात्मक लेबल नहीं लगा है या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उस पर लेबल नहीं लगाया गया है या उसके उल्लंघन में है; या

(ii) विशेष आहार उपयोगों के लिए विक्रय के लिए प्रस्थापित किया गया है जब तक कि उसके लेबल पर उसके विटामिन, खनिज या अन्य आहार तत्वों के बारे में ऐसी जानकारी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे उपयोग के लिए उसके गुणों के बारे में उसके क्रेता का पर्याप्त रूप से सूचित करने के लिए उसके लेबल में नहीं दी गई है; या

(iii) उसके बाहर उसके बारे में सहजदृश्य रूप से या सही रूप से कथित नहीं है कि वह इस अधिनियम के अधीन अधिकथित परिवर्तिता की सीमाओं के भीतर हैं।''

17. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–26 के अनुसार– <u>खाद्य कारोबारकर्ता के दायित्व</u>– (1) प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि, खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों की अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार के भीतर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों पर पूरा करती है।

(2) कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता ऐसी किसी खाद्य वस्तु का–

(i) जो असुरक्षित है; या

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक हैं या उसमें बाह्य पदार्थ मिले हैं;

(iii) जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, अनुज्ञप्ति की शर्तों के

अुनसार के सिवाय, या

(iv) जो तत्समय खाद्य प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य के हित में प्रतिषिद्ध है, या

(v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबन्ध के उल्लंघन में, स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा।

18. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–49 के अनुसार– <u>शास्ति से सम्बन्धित साधारण उपबन्ध</u>– ''जब इस अध्याय के अधीन शास्ति की मात्रा का न्याय निणर्यन करते समय, यथास्थिति, न्याय निर्णायक अधिकारी या अधिकरण, निम्नलिखित का सम्यक ध्यान रखेगा–

(क) उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुए अभिलाभ या अनुचित लाभ की रकम, जहां भी निर्धारणीय हो,

(ख) उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को कारित हानि या ऐसी हानि जिसके होने की संभावना है, की रकम,

(ग) उल्लंघन की पुनरावृत्ति की प्रकृति,

(घ) चाहे उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया है, और

(ड़) कोई अन्य सुसंगत कारक।''

19. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–52 के अनुसार–<u>मिथ्या छाप वाले खाद्य के लिए शास्ति</u>– (i) कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य वस्तु का, जो मिथ्या छाप की है, मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु विनिर्माण या भण्डारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है शास्ति का, जो तीन लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।''

20. इस स्तर पर उल्लेखनीय है कि, अपीलार्थी/खाद्य कारोबारकर्ता ने प्रार्थनापत्र कागज संख्या–16ग इस आशय का प्रस्तुत किया है कि, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा धारा–49 का अनुपालन नहीं किया गया है, उपरोक्त

वाद उन्होंने मिथ्या कथनों के आधार पर विचारण न्यायालय में योजित किया था, कोविड महामारी के कारण अपीलार्थी का कारोबार में अत्यधिक घाटा हो गया है, अपीलार्थी की आर्थिक स्थिति भी अत्यधिक दयनीय है, अपीलार्थी की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह उक्त अपील को चलाने के लिए सक्षम नहीं रहा है, अपीलार्थी की आर्थिक स्थिति एवं अपील की लम्बित अवधि को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर विचार किये बिना दया के आधार पर अपील को निस्तारित करने की कृपा करें। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थनापत्र के अवलोकन से यही परिलक्षित होता है कि, वह प्रश्नगत आदेश को अपील में वर्णित आधारों पर चुनौती नहीं देना चाहते हैं, बल्कि वह केवल अधिरोपित शास्ति की धनराशि को कम किये जाने की हद तक ही अपील पर अधिनियम की धारा–49 के परिप्रेक्ष्य में बल देना चाहता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय को केवल विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित शास्ति की वैधानिकता पर ही विचार करना है।

21. इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 18.01.2016 को अपीलार्थी के प्रतिष्ठान से जांच हेतु लिये गये गेंहू का आटा (शान्ति भोग ब्राण्ड) के नमूने को परीक्षण हेतु खाद्य विश्लेषण कार्यालय, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर प्रेषित किया था, प्रश्नगत निर्णय के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि, अपीलार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये नमूने के पैकेट के लेबल पर निर्माता द्वारा बैच नम्बर, पैकिंग तिथि, उपयोग की सर्वोत्तम तिथि (बड़े अक्षरों में) और हरी सब्जी का प्रतीक चिन्ह घोषित न होने के कारण नमूने को मिथ्या छाप पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा–52 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

22. इस स्तर पर उल्लेखनीय है कि, उक्त अधिनियम की धारा–52 न्यूनतम दण्ड को प्रावधानित नहीं करती, बल्कि उक्त धारा में अधिकतम शास्ति की सीमा तीन लाख रूपये प्रावधानित की गयी है। अर्थात् विधि न्याय निर्णायक अधिकारी से उक्त धारा के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियमों में वर्णित प्रावधानों के उल्लंघन की गम्भीरता के कम अथवा अत्यधिक होने के मद्देनजर शास्ति निर्धारित किये जाने की अपेक्षा करती है। इसी कारण उक्त अधिनियम की धारा–49 न्याय निर्णायक अधिकारी

से यह अपेक्षा करती है कि, वह शास्ति की मात्रा निर्धारित करते समय धारा–49 में वर्णित आधारों को ध्यान में रखे। अर्थात् धारा–52 के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करते समय न्याय निर्णायक अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि, वह धारा–49 में वर्णित इस तथ्य पर भी विचार करे कि, उल्लंघन के परिणामस्वरूप खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा खाद्य सामग्री के विक्रय से कितना अभिलाभ या अनुचित लाभ प्राप्त किया गया, जहां भी वह लाभ निर्धारणीय है। इसके अतिरिक्त न्याय निर्णायक अधिकारी को शास्ति पारित करते समय इस तथ्य पर भी विचार करना चाहिए कि, खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा किये गये उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को हुई हानि या ऐसी हानि, जिसके होने की सम्भावना है, की धनराशि कितनी है। इसके अतिरिक्त न्याय निर्णायक अधिकारी को शास्ति निर्धारित करते समय इस तथ्य भी विचार करना चाहिए कि, खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा उल्लंघन की पुनरावृत्ति की प्रकृति क्या है और क्या खाद्य कारोबारकर्ता ने उल्लंघन जानबूझकर किया है अथवा नहीं। इस स्तर पर यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि, दौरान निरीक्षण अपीलार्थी की दुकान से कुल 26 प्लास्टिक के बैग, जिनमें प्रत्येक में 05 किलोग्राम गेंहू का आटा (शान्ति भोग ब्राण्ड) बिक्री हेतु रखा पाया गया था, जिसमें से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 02 किलोग्राम आटा मुबलिग 24/–रूपये, प्रति किलो के हिसाब से कुल 48/–रूपये देकर क्रय किया गया था, अर्थात् अपीलार्थी की दुकान पर मिथ्या छाप सम्बन्धी जो भी आटा मौजूद था, उसका कुल वजन उपरोक्तानुसार 130 किलोग्राम था, जिसकी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने के लिए अदा की गयी कीमत के अनुसार अनुमानित कीमत लगभग 3,120/–रूपये होती है, अर्थात् अपीलार्थी को मिथ्या छाप आटे से जो भी लाभ प्राप्त होना था, वह उपरोक्त अनुमानित कीमत के सापेक्ष में ही होना था, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय में उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्य को भी नजरंदाज किया गया है, विशेषकर उस स्थिति में, जब पत्रावली पर इस आशय का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि, अपीलार्थी कितने समय से उपरोक्त मिथ्या छाप आटे को विक्रय कर रहा था और उसके द्वारा कुल कितना मिथ्या छाप आटा विक्रय किया गया और उस विक्रय से कितना लाभ अर्जित किया गया, विशेषकर उस स्थिति में, जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण वर्ष व

उसके पूर्व के वर्षों से सम्बन्धित अपीलार्थी की आय–व्यय सम्बन्धी कोई विवरण, अर्थात बैलेंस शीट आदि दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही प्रश्नगत निर्णय में विचारण न्यायालय ने इस तथ्य का कोई उल्लेख अंकित किया है कि, कथित नमूना मिथ्या छाप होने के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा कितना अभिलाभ या अनुचित अभिलाभ प्राप्त किया गया अथवा अभिलाभ निर्धारणीय है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत निर्णय में इस तथ्य का भी कोई उल्लेख अंकित नहीं है कि, अपीलार्थी द्वारा निर्मित गेंहू का आटा (शान्ति भोग ब्राण्ड) के क्रय किये जाने से किन–किन व्यक्तियों को कितने धन की हानि कारित हुई अथवा हानि कारित होने की सम्भावना थी। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत निर्णय में इस तथ्य का भी कोई उल्लेख अंकित नहीं है कि, क्या अपीलार्थी द्वारा पूर्व में भी उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है अथवा नहीं? इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत निर्णय में उन आर्थिक आधारों का भी कोई उल्लेख नहीं किया है, जिन आधारों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत शास्ति अधिरोपित की है।

23. अतः प्रश्नगत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के मद्देनजर न्यायालय इस मत की है कि, विचारण न्यायालय ने अधिनियम की धारा–49 में वर्णित आधारों को नजरंदाज करते हुए बिना किसी उचित आधार के अपीलार्थी पर मुबलिग 2,70,000/–रूपये की शास्ति अधिरोपित करने में विधिक त्रुटि कारित की है, जिसको प्रश्नगत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के मद्देनजर संशोधित करते हुए कम किया जाना उचित एवं न्याय संगत प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

(i) सिविल अपील नम्बरी–136/2021, सुबोध गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य आदि आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा–52 के अन्तर्गत अपीलार्थी के विरूद्ध पारित मुबलिग 2,70,000/–रूपये की शास्ति के निर्णय को संशोधित करते हुए, अपीलार्थी पर मुबलिग 2,00,000/–रूपये (दो लाख रूपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

(ii) अपीलार्थी द्वारा अपील के अंगीकरण के स्तर पर न्यायालय में जमा

की गयी शास्ति की धनराशि, उपरोक्त धनराशि में समायोजित की जायेगी।

(iii) अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि, वह प्रश्नगत निर्णय की दिनांक से एक माह के अन्दर शास्ति की धनराशि न्यायालय में जमा करना सुनिश्चित करे। यदि अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समय–सीमा में शास्ति की धनराशि जमा नहीं की जाती है, तो उससे उपरोक्त शास्ति की धनराशि की वसूलयाबी भू–राजस्व की भांति की जाये।

(iv) इस निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाये। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि, अपील की पत्रावली नियमानुसार दााखिल अभिलेखागार करें।

दिनांकः 25–03–2026

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण/
जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
J.O.Code No. UP-1895

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 25–03–2026

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण/
जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
J.O.Code No. UP-1895

स्टेनो– राजीव कुमार।